**2.2**

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत

संख्या:– 2970 /111(2)/11–10(मु0मं0घो0)/2011

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2011

विषय:– **मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0/कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अनुक्रम में संलग्न नुसार उपलब्ध कराये गये 04 कार्यो के प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लागत ₹ 81.01 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 62.26 लाख (₹ बासठ लाख छब्बीस हजार ) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रति कार्य ₹ 0.25 अर्थात कुल 04 कार्य हेतु ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने की महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764/111(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 10 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का मद में व्यय कदापि न किया जाय। वास्तविक व्यय आधार पर यदि कोई धनराशि स्वीकृत लागत के बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दिया जायेगा।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरनेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। बजट मैनुअल के निर्देशों अनुपालन किया जायेगा।

(6)

-2-

...िव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006
...यों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया

...किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी
...होगा।

...वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012
...किया जायेगा।

...संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान
...लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें
...–800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे
...।

...आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 197 / **XXVII/(2)/2011** दि0: 05 **जुलाई, 2011** में
...की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

...– यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

...(1) / 111(2) / 11–10(मु0मं0घो0) / 2011 तददिनांक।

...प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार / चमोली / नैनीताल।
मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी / अल्मोड़ा।
मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी जनपद देहरादून / हरिद्वार / चमोली / नैनीताल।
निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
अधीक्षण अभियन्ता, नवम् / सप्तम् / द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून / गोपेश्वर / नैनीताल।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन।
11.– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

...– SEP 2011

पृ0 प0 सं0 877 / 20 मा0 ... दि0 19/09/11
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को ... में आवश्यक कार्यवाही ... प्रेषित।
01 – मुख्य अभियन्ता (ग0/कु0 क्षे0) लो0 नि0 वि0, पौड़ी / अल्मोड़ा
02 – अधी0 अभि0 नवम् / सप्तम / द्वितीय वृत्त लो0 नि0 वि0 देहरादून / गोपेश्वर / नैनीताल
03 – ... कार्यालय ...

फाइल नम्बर 1 (H)
क्रम संख्या 3152
प्राप्ति तिथि 5/9/11

–3–

शासनादेश संख्या:– 2970 (1)/III(2)/11–10(मु0म0घो0)/2011 दिनांक 15 जुलाई, 2011 का संलग्नक

( धनराशि लाख ₹ में)

| कार्य का नाम | घोषणा सं0 | लम्बाई किमी0/मी0 में | प्रथम चरण की अनुमोदित लागत | वर्तमान में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर में ग्राम झीवरहेड़ी व गौ रक्षान्यास के लिये पथ निर्माण। | 421/2011 | 8.60 | 13.76 | 0.25 |
| जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में ग्राम पूछड़ी से भगुवाबंगर होते हुए कालूसिद्ध मन्दिर तक मार्ग का निर्माण | 348/2011 | 2.50 | 4.00 | 0.25 |
| जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग से क्यारी खाम तक सम्पर्क मार्ग के किमी0 6, में खिचड़ी नदी पर 66 मी0 स्पान के स्टील गर्डर सेतु का निर्माण | 342/2011 | 66.00 मी0 स्पान | 6.70 | 0.25 |
| जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में सिमली– शैलेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण | 137/2011 | 3.00 | 37.80 | 0.25 |
| योग:– | | 14.10 + 01 सेतु | 62.26 | 1.00 |

( ₹ एक लाख मात्र )

का0
अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

महिमा
( महिमा )
अनु सचिव

पृ0सं0 2898/147 खाता-71 2011 दि0 03/9/2011

(1) प्रतिलिपि- संलग्नकों की प्रति सहित अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार आगेय आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
सं0 - उपरोक्तानुसार - 1

(2) प्रतिलिपि- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) वृत्तीय कार्यालय को संलग्नक सहित,
सं0 - उपरोक्तानुसार

अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

(3) प्रति- बजट पत्रावली वृत्त कार्यालय।

पत्रांक 3251 / बजट (1H) / दिनांक 6/9/11
(1) छाया प्रति सहायक अभियन्ता (प्रथम) लो0 नि0 वि0 कर्णप्रयाग
(2) छाया प्रति कार्य अधि0 (प्रा0)